

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/22/2017-अ.भा.से.-।

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 26 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा झारखंड और तमिलनाडु राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा श्री के. श्रीनिवासन, आईएएस (जेएच:2005) को वैयक्तिक आधार पर, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश आने तक जो भी पहले हो, झारखंड संवर्ग से तमिलनाडु संवर्ग में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करती है।

(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)।